भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3382

21 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: लघु उद्योगों के लिए कृषि अवसंरचना निधि

3382. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री राजन बाबूराव विचारे:
श्री धर्मवीर सिंह:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर हरियाणा राज्य और महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए किसानों हेतु कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) को अनुमोदित किया है;

(ख) उक्त अवसंरचना के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य को कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के नाम क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) कृषि अवसंरचना कोष योजना (एआईएफ) जुलाई, 2020 में शुरू की गई। इस योजना के पास 1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा है जिसे फार्म गेट और एकत्रीकरण बिंदु पर विकेन्द्रीकृत फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा लिया जाता है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, एआईएफ के तहत अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट और 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान की जा रही है। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना पूरे भारत को कवर करती है। हरियाणा राज्य और महाराष्ट्र में ठाणे के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा सामान्य रूप से अन्य राज्यों में एआईएफ की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

अब तक, हरियाणा राज्य में 683 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित राशि के साथ 804 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और महाराष्ट्र के ठाणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 14.59 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित राशि के साथ 19 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत स्वीकृत ऋण का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में राशि)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्वीकृति	
		संख्या	कुल धनराशि
1	मध्य प्रदेश	5,567	4,275
2	आंध्र प्रदेश	1,937	2,007
3	महाराष्ट्र	3,400	1,790
4	राजस्थान	1,306	1,223
5	तेलंगाना	893	915
6	कर्नाटक	1,744	991
7	गुजरात	1,183	981
8	उत्तर प्रदेश	1,701	1,051
9	तमिलनाडु	943	754
10	हरियाणा	804	683
11	पंजाब	1,673	656
12	पश्चिम बंगाल	1,040	469
13	केरल	615	347
14	छत्तीसगढ़	542	427
15	बिहार	482	308
16	ओडिशा	510	262
17	असम	193	199
18	उत्तराखंड	236	127
19	हिमाचल प्रदेश	129	52
20	झारखंड	108	45
21	गोवा	8	7
22	दिल्ली	7	8
23	जम्मू और कश्मीर	58	26
24	अरुणाचल प्रदेश	3	4
25	चंडीगढ़	2	4
26	मेघालय	1	2
27	मिजोरम	3	2
28	नागालैंड	11	3
29	सिक्किम	11	1
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0.3
34	मणिपुर	2	0.4
35	त्रिपुरा	2	2
36	पुदुचेरी	1	1
	सकल योग	25,119	17,623

(ख) कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को अनंतिम रूप से 8460 करोड़ रुपये और हरियाणा को 3900 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ग) एआईएफ योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के नाम निम्नानुसार हैं

क. फसलोपरान्त प्रबंधन परियोजनाएं

- ई-मार्केटिंग प्लेटफार्मों सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं
- गोदाम और साइलो
- शीतागार और शीत श्रृंखला
- पैकेजिंग इकाइयाँ
- परख इकाइयाँ
- छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
- लॉजिस्टिक सुविधाएं- रीफर वैन और इंसुलेटेड वाहन
- राइपनिंग चेम्बर
- कृषि अवशेष/अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचनाएं
- प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ

ख. सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां

- जैविक आदान उत्पादन - वर्मीकम्पोस्टिंग आदि।
- संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र
- जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयाँ
- स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए अवसंरचना
- ड्रोन की खरीद, फील्ड पर विशेष सेंसर लगाना, ब्लॉकचेन और कृषि आदि में कृषि अवसंरचना एआई।
- रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे स्वचालित मौसम स्टेशन, फार्म
- जीआईएस अनुप्रयोगों के माध्यम से सलाहकार सेवाएं।
- नर्सरी
- ऊतक संवर्धन
- बीज प्रसंस्करण
- कस्टम हायरिंग केन्द्र - फार्म मशीनरी / उपकरण *(मात्रा में न्यूनतम 4)*
- फार्म कटाई स्वचालन (*कंबाइन हार्वेस्टर, गन्ना हार्वेस्टर, बूम स्प्रेयर आदि)*
- स्टैंडअलोन सौर पंपिंग प्रणाली (पीएम-कुसुम घटक बी)
- (पीएम-कुसुम घटक सी) के तहत ग्रिड से जुड़े कृषि-पंप का सौरीकरण
- एकीकृत स्पिरुलिना उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयां
- रेशम उत्पादन प्रसंस्करण इकाई
- शहद प्रसंस्करण

- संयंत्र संगरोध इकाइयाँ
- निर्यात समूहों सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए पहचान की गई परियोजनाएं ।
- पीपीपी के तहत केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा संवर्धित परियोजनाएं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों या फसलोपरान्त प्रबंधन परियोजनाओं का निर्माण।

निम्नलिखित परियोजनाएं केवल एफपीओ, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी संघ, एफपीओ संघों, एसएचजी के संघों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां ऐसे समूहों के लिए केवल पात्र हैं क्योंकि वे सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।

- हाइड्रोपोनिक खेती
- मशरूम की खेती
- ऊर्ध्वाधर खेती
- एरोपोनिक खेती
- पॉली हाउस / ग्रीनहाउस
- लॉजिस्टिक सुविधाएं (गैर-प्रशीतित / इन्सुलेटेड वाहनों सहित)
- ट्रैक्टर

नोट 1: एआईएफ के तहत किसी भी पात्र अवसवंरचना के सौरीकरण को भी वित्तपोषित किया जा सकता है।

नोट 2: उपरोक्त पात्र परियोजनाओं के विकास के हिस्से के रूप में डिजिटल कनेक्टिविटी और ऑप्टिक फाइबर अवसंरचना योग्य निवेश होगा।

*****